तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

(*पीठासीन अधिकारी श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.*)

अवमानना प्रार्थना पत्र संख्या 09/2023 जी.सी.एम.एस. नं. 2023/179

बाबूलाल परिहार

बनाम

अपूर्वा, उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर(दक्षिण) इत्यादि

उपस्थितः–

श्री के.के. भाटी, अधिवक्ता प्रार्थी

श्री दयाराम चौशरी, अधिवक्ता अप्रार्थी. संख्या 1

निर्णय

दिनांक 14 सितंबर 2023

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस अवमानना प्रार्थना पत्र पर सुनी गई

वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि न्यायालय हाजा द्वारा अपील संख्या 65/2023 अनवान बाबूलाल बनाम जे.डी.ए. जोधपुर इत्यादि में विचारण न्यायालय का अभिलेख तलब करने हेतु पत्र क्रमांकः2022/612 दिनांक 28.03.2023 जारी कर आगामी तारीख पेशी दिनांक 04.04.2023 से पूर्व अभिलेख विजवाने के निर्देश दिये गये। उक्त पत्र की दस्ती वकील प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या एक के कार्यालय में दे दी गई तथा मौखिक में रेकर्ड भिजवाने का निवेदन किया संबंधित कलर्क द्वारा अप्रार्थी संख्या एक को अवगत करवाने के बावजूद भी रिकॉर्ड नहीं भिजवाया गया। इसलिए अप्रार्थी संख्या एक न्यायालय के आदेश दिनांक 28.03.2023 की जानबूझ कर अवहेलना की दोषी है एव दण्डित किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे एवं अप्रार्थी संख्या एक को दण्डित किया जावे।

जवाब में अप्रार्थी संख्या एक के अधिवक्ता ने प्रार्थी के अधिवक्ता के कथनों को विरोध करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा निहायती झूठे एवं मनगढंत एवं बेबुनियाद कथन किये गये है। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा द्वारा कोई चिट्ठी अप्रार्थी संख्या

राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	एक के कार्यालय में नहीं प्रस्तुत की गई है। प्रार्थी द्वारा अवमानना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाकर अप्रार्थी संख्या एक पर अनुचित दवाब बनाकर प्रकरण में अप्रार्थी संख्या एक से येनकेन प्रकारेण राहत प्राप्त करना चाहता है, जिसे कतई विधिसम्मत नहीं कहा जा सकता है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का खारिज फरमाया जावे।	
	उभय पक्ष के अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। प्रार्थी ने अपने कथनों के समर्थन में ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे यह साबित हो कि प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या एक के कार्यालय के किसी कार्मिक को न्यायालय हाजा के तलबी पत्र क्रमांकः2022/612 दिनांक 28.03.2023 की प्रति दी गई हो तथा सबूत के तौर पर पावति ली जाकर हस्तगत प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की गई हो। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र साबित नहीं होने से खारिज किया जाता है।	
	आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।	
	14.7.23 (मंगलाराम पूनिया) राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर	

राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर